संख्याः 2171/VII-2/115–उद्योग/2008

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 मई, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि **इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, धनराशि अवमुक्त होने के बाद ही** भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप ही कोषागार से आहरण की जायेगी तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी यथासमय भारत सरकार/राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4 स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण कर व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च 2008 के प्रस्तर–7 के अनुसार चार समान किश्तों में किया जायेगा। पूर्व किश्त की धनराशि का पूर्ण उपयोग तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार को प्रस्तुत करके अनुवर्ती किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक: 31.03.2009 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

7– उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 20–उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 के प्रस्तर–5 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: २१२५ (1)/VII-2/115–उद्योग/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।